	induction training of two-four weeks duration as prescribed by administrative Ministry or Department for successful completion of probation.	long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government. (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with five years' regular service in posts in Level -10 of the pay matrix; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7).	

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	**(13)**
Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: (1) Secretary, Union Public Service Commission - Chairman (2) Additional Secretary (In-charge of Administration Branch), Union Public Service Commission - Member (3) Additional Secretary (In-charge of Examination Reforms Branch), Union Public Service Commission - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for filling up the post.

[F. No. 39021/01/2020-Estt. (B)]

RAJBIR SINGH, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2021

सा.का.नि. 133.—राष्ट्रपति ,संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, सांख्यिकी-सह-चिकित्सा अभिलेख पुस्तकाध्यक्ष भर्ती नियम, 1992 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में सांख्यिकीविद्-सह-चिकित्सा अभिलेख पुस्तकाध्यक्ष के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्-:

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, सांख्यिकीविद्-सह-चिकित्सा अभिलेख पुस्तकाध्यक्ष)समूह 'ग' पद), भर्ती नियम2021 , है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर -**उक्त पद की संख्या ,उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2)से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति , आयु-सीमा, अर्हताएं आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता** :वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति** : इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन याअचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सांख्यिकीविद्-सह-चिकित्सा अभिलेख पुस्तकाध्यक्ष	01* (2021) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (21700-69100 रुपये)।	अचयन

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(6)	(7)
18 से 27 वर्ष के बीच । (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में चालीस वर्ष की आयु तक और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में पैंतालीस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण** : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक	**आवश्यक:** **क. शैक्षिक अर्हताएँ**: 1.किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण। 2. किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से चिकित्सा अभिलेख तकनीशियन प्रशिक्षण का प्रमाण-पत्र । 3. कंप्यूटर तथा 30 शब्द प्रति मिनट की गति से टंकण का ज्ञान । **ख. अनुभव:** किसी मान्यताप्राप्त संस्थान के चिकित्सा अभिलेख विभाग में कार्य करने का

तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी न की वह नियत तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिला तथा चंबा जिला का पांगी उप-खंड और लद्दाख, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है ।	छह माह का अनुभव । **टिप्पण-1:** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण-2** अनुभव संबंधी अर्हताएं, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	**भर्ती की पद्धति:** सीधी भर्ती या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।
(8)	**(9)**	**(10)**
आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएँ : हाँ	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष ।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । **टिप्पण:** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी: (क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं । (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(11)	**(12)**	**(13)**
प्रोन्नति : संस्थान के ऐसे समूह-ग कर्मचारियों में से प्रोन्नति, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900-63200 रुपये) में तीन वर्ष की सेवा की हो, जिसके न हो सकने पर संस्थान के ऐसे समूह-ग कर्मचारियों में से	**विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:** 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक या उप प्रधानाचार्य, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल - अध्यक्ष 2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के चिकित्सा शिक्षा अनुभाग के	लागू नहीं होता।

प्रोन्नति, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (18000-56900 रुपये) में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो और जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित अहर्ताएं रखते हों। **टिप्पण**: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	प्रभारी उप निदेशक - सदस्य 3. संबंधित विभाग के प्रमुख, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल -सदस्य। **विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:** 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक या उप प्रधानाचार्य, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल - अध्यक्ष 2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के चिकित्सा शिक्षा अनुभाग के प्रभारी उप निदेशक - सदस्य 3. संबंधित विभाग के प्रमुख, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल -सदस्य।	

[फा. सं. ए.11018/02/2021-एमएच II]
गणेश कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 3rd September, 2021

G.S.R. 133.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, Statistician-cum-Medical Record Librarian Recruitment Rules,1992, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Statistician-cum-Medical Record Librarian in the Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital in New Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement.–** (1) These rules may be called the Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital in New Delhi, Statistician-cum-Medical Record Librarian (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.–** The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. –** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification. –** No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax. –** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving .-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age- limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	**Number of post**	**Classification**	**Level in pay matrix**	**Whether selection post or non-selection post**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
Statistician-cum-Medical Record Librarian.	1* (2021) (subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-3 in the pay matrix (Rs. 21700-69100).	Non-selection

Age-limit for direct recruits	**Educational and other qualifications required for direct recruits**
(6)	**(7)**
Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for the government servants upto the age of forty years in case of general candidates and upto the age of forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note** : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshdweep.	**Essential :** A. Educational qualifications : 1. 12^{th} Class pass from a recognised Board. 2. Certificate in Medical Records Technician Training from a recognised institution. 3. Knowledge of computer and typing with speed of thirty words per minute. B. <u>Experience</u>: Six months working experience in a Medical Records Department of a recognised institution. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority for the reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2**: Qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if, at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	**Period of probation, if any**	**Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods**
(8)	**(9)**	**(10)**
Age: No Educational Qualification: Yes	Two years for direct recruits.	By promotion failing which by direct recruitment. **Note:** Vacancies caused by the incumbent being

		away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government. (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department. (b) possessing educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7).

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption grade from which promotion or deputation/ absorption to be made	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition**	**Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.**
(11)	**(12)**	**(13)**
Promotion : Promotion Group–'C' staff in the institution with three years of service in level – 2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) failing which from Group-'C' staff in the institution with six years of regular service in level-1 in the pay matrix (Rs.18000–56900) and possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column number (7). **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	**Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :** 1. Additional Medical Superintendent or Vice Principal, Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital -Chairman 2. Deputy Director in-charge of Medical Education Section in Directorate General of Health Services -Member 3. Head of the concerned Department, Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital -Member. **Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :** 1. Additional Medical Superintendent or Vice Principal, Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital -Chairman 2. Deputy Director in-charge of Medical Education Section in Directorate General of Health Services -Member 3. Head of the concerned Department, Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital -Member.	Not applicable.

[F. No. A. 11018/02/2021-MH-II]

GANESH KUMAR, Under Secy.